

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें

फडणवीस की शाह से सियासी मुलाकात

जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन

नई दिल्ली, 25 जुलाई. महाराष्ट्र में मंत्रियों और विधायकों के कार्यों तथा बयानों को लेकर मिल रही कड़ौ आलोचना के बीच, राज्य के मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस ने नई दिल्ली दौर पर गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के साथ गहन विचार-विमर्श किया। फडणवीस की शाह से यह मुलाकात राज्य भाजपा के नव-



निर्वाचित अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के मुख्य रणनीतिकार से मिलने के एक दिन बाद हुई है। शाह और नड्डा के अलावा, फडणवीस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विद्युत, आवास और

शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खड्कर और नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम से भी मुलाकात की। 25 मिनट तक चली इस बैठक में 'महापति' गठबंधन के भीतर चल रहे गतिरोध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। हालांकि, भाजपा नेताओं का दावा

है कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। खबरों के मुताबिक, कुछ विवादित मंत्रियों के विभागों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई।

इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि फडणवीस के मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। फडणवीस ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली में हमारे नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के विकास से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर भी बात हुई। खबरों के अनुसार, महाराष्ट्र में एक बड़े रसायन कारखाने परियोजना को केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। इस कदम से राज्य में निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलने की संभावना है।

पिछले एक सप्ताह से महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के मंत्रियों के बदलाव की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में दावा किया गया है कि जल्द ही फडणवीस सरकार के 8 मंत्रियों की विवेक गिरीने वाली है। ये सभी मंत्री शिंदे और पवार की पार्टी के हैं। मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस हैं लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास है।

सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना और आंध्र में परिसीमन से इनकार

नई दिल्ली, 25 जुलाई. उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिसीमन कर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ा देने की मांग वाली एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने के पुरुषोत्तम रेड्डी की उस

गुहार को ठुकरा दी, जिसमें दलील दी गई थी कि जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन किया गया और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई गयी, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इसे मनमाना और संविधान का उल्लंघन करार दिया था। पीठ ने रेड्डी की परिसीमन के

लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को जम्मू-कश्मीर के समान नहीं माना जा सकता। पीठ ने यह मानते हुए कि इससे (याचिका स्वीकार करने से) सभी राज्यों के लिए समानता की मांग करने के लिए ढेरों रास्ते खुल जाएंगे।

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर

(श्री रोशन राय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक- 109)
क्रमांक/229/अकरी-4/2025 प्रकरण क्रमांक/ /श्री-121/2025-26 इंदौर, दिनांक 21/07/2025

विव्रापित प्रकाशन

- श्री तेजकरण पिता समन्दर सिंह**
पता - 116 गांव पांडा इंदौर म.प्र. फ्लेट नं. 204 द्वितीय तल प्लाट नं. 299 महावीर अपार्टमेंट सिलिकॉन सिटी ग्राम निहालपुर मुंडी इंदौर म.प्र.
- श्रीमती कविता पति तेजकरण**
पता - 116 गांव पांडा इंदौर म.प्र. फ्लेट नं. 204 द्वितीय तल प्लाट नं. 299 महावीर अपार्टमेंट सिलिकॉन सिटी ग्राम निहालपुर मुंडी इंदौर म.प्र.

द्वारा:- तहसील/सावेर,राऊ/पंजीकृत, डाक/समाचार, विज्ञापि

--00--

प्राथी प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक, पंजीकृत कार्यालय पता- यस बैंक टावर आइएफ सी 2, 23 वीं मंजिल सेनापति बापट मार्ग एलिफिस्ट (डब्ल्यू) मुंबई 400013 शाखा कार्यालय- वाई नं. 8 आर एम् टावर नगर निगम नं. 269 गोरकुंज चौराहा महाना गांधी रोड राजवाड़ा के पास इंदौर म.प्र. द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति- फ्लेट नं. 204 द्वितीय तल प्लाट नं. 299 महावीर अपार्टमेंट सिलिकॉन सिटी ग्राम निहालपुर मुंडी इंदौर म.प्र. के सभी हिस्से पर रिश्त कुल क्षेत्रफल 630 वर्गफीट (58.5 वर्गमीटर) पर बकाया राशि 1638703/- + ब्याज व अन्य खर्च का चुकारा आपक द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सांपा गया है। अतः वित्तीय आसतियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिगत प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक - 109 में दिनांक 06-08-2025 को दोपहर 02:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपरिस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(रोशन राय)
अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला इंदौर

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर

(श्री रोशन राय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक- 109)
क्रमांक/227/अकरी-4/2025 प्रकरण क्रमांक/ /श्री-121/2025-26 इंदौर, दिनांक 21/07/2025

विव्रापित प्रकाशन

- श्री विनेश खडेकर पिता श्री दयाराम खडेकर**
पता 1-77, न्यू अंजनी नगर इंदौर म.प्र.
पता 2- 102/1, अंजनी नगर बड़ी मंमरी के पास साई विद्या स्कूल के पास इंदौर म.प्र.
- श्रीमती कविता पति खडेकर श्री विनेश खडेकर**
पता 1-77, न्यू अंजनी नगर इंदौर म.प्र.
पता 2- 102/1, अंजनी नगर बड़ी मंमरी के पास साई विद्या स्कूल के पास इंदौर म.प्र.

द्वारा:- तहसील/सावेर,राऊ/पंजीकृत, डाक/समाचार, विज्ञापि

--00--

प्राथी प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक, पंजीकृत कार्यालय पता- यस बैंक टावर आइएफ सी 2, 23 वीं मंजिल सेनापति बापट मार्ग एलिफिस्ट (डब्ल्यू) मुंबई 400013 शाखा कार्यालय- वाई नं. 8 आर एम् टावर नगर निगम नं. 269 गोरकुंज चौराहा महाना गांधी रोड राजवाड़ा के पास इंदौर म.प्र. द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति- मकान संख्या एच डब्ल्यू-31, उत्तरी राऊ के सम्पूर्ण भाग पर सिंगापूर लिटिडा पार्क फेज-2 ग्राफ़ वावली तहसील सावेर जिला इंदौर म.प्र. पर रिश्त कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफीट (65.05 वर्ग मीटर) पर बकाया राशि 9,91,739/- + ब्याज व अन्य खर्च का चुकारा आपक द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सांपा गया है। अतः वित्तीय आसतियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिगत प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक - 109 में दिनांक 06-08-2025 को दोपहर 02:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपरिस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(रोशन राय)
अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला इंदौर

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर

सूचना

M/s FAIRWELL FINANCE LIMITED के प्रबंधन और स्वाभिमूल परिवर्तन की सूचना:

यह सार्वजनिक सूचना इस आशय की है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अद्यतन किए गए भारत इंडेक्स के पैर 42.3 के अनुपालन में तथा भारतीय रिजर्व बैंक (R B I) या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति एवं शर्तों के पालन के पश्चात यह परिवर्तन किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र क्रमांक NGP.DOR.RSG.No.S111/12-02-373/2025-2026 दिनांक 24 जुलाई 2025 के माध्यम से प्रबंधन परिवर्तन के लिए पूर्व स्वीकृति प्रदान की है, जो कंपनी को 24 जुलाई 2025 को प्राप्त हुआ।

श्री विपिन नंदलाल गुप्ता, श्री सारांश सुकुतांडे, श्री वैकेटाचलम के. अय्यर

उपरोक्त व्यक्तियों को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा वे वर्तमान निदेशक सुश्री रेनु बेताला, श्री सुरेश कुमार बेताला एवं श्री नरेश कुमार बेताला का स्थान लेंगे।एवं इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र क्रमांक NGP.DOR.RSG.No.S110/12-02-373/2025-2026 दिनांक 24 जुलाई 2025 के माध्यम से नियंत्रण परिवर्तन के लिए भी पूर्व स्वीकृति प्रदान की है, जो कंपनी को 24 जुलाई 2025 को प्राप्त हुआ।

श्री विपिन नंदलाल गुप्ता, सुश्री वृत्ति विपिन गुप्ता, सुश्री मंजू गुप्ता, सुश्री विनी गुप्ता, सुश्री पूजा गुप्ता, सुश्री स्वाति गुप्ता एवं सुश्री चैतली गुप्ता (जिन्हें आगे "अधिग्राही" कहा जाएगा) अब FAIRWELL FINANCE LIMITED नामक मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का प्रमुख नियंत्रण प्राप्त करेंगे, जिसका पंजीकृत कार्यालय F/11, वातशिल्प चेम्बर्स, 31 स्नैच नगर मेन रोड, इंदौर-452001 पर स्थित है।

इसके फलस्वरूप कंपनी का निदेशक मंडल, प्रबंधन और नियंत्रण अब संशोधित हो जाएगा। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य कंपनी की वर्तमान गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों को संगठित करना, सुदृढ़ बनाना और व्यापक रूप देना है।

कोई भी व्यक्ति जिसकी इस परिवर्तन से संबंधित कोई वैध आपत्ति हो या जिसका कोई हित प्रभावित हो सकता है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अधिग्राही, स्थानांतरक या कंपनी को उपरोक्त पत्र पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तियन विभाग, अतिरिक्त कार्यालय भवन, ईस्ट हाई कोर्ट रोड, नागपुर- 440001 को अपनी आपत्ति और कारण सहित सूचित कर सकता है।

अधिग्राही, कंपनी एवं नया प्रबंधन द्वारा जारी

कब्जा नोटिस

जबकि, जना फार्मेशन बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आसतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उधारकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित नामों के सम्बन्धित लिखित राशि को, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित, और भूगर्भगत और/या बसुली की वित्थि तक किए गए भावी आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित चुका दें।

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

न्यायाधीश पी0एफ00पी00-013 एच 00 1962- ए 2,00,000

नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (जलप्रदाय)

नर्मदा परियोजना मूसाखेडी, इन्दौर

E-mail: ee2_narmada@rediffmail.com, Phone: 0731-2712846

निविदा सूचना क्रमांक: 27/2025-26/नर्मदा.परि.न.पा.नि.

निम्नलिखित कार्य के लिये निविदाएं "प्रतिशत दर" निविदा प्रारूप पर पंजीकृत ठेकेदारों से, जो कि आवश्यक अर्हता रखते हो, से आमंत्रित की जाती है।

दिनांक: 23.07.2025

कार्य का नाम

कार्य की समयावधि एवं लागत

निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD

01 पंचम आमंत्रण

यशवंत सागर जलप्रदाय व्यवस्था अंतर्गत यशवंत सागर डैम पर निरीक्षण हेतु सिद्धी निर्माण एवं अन्य सिलविल कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

02 आमंत्रण

यशवंत सागर जलप्रदाय व्यवस्था अंतर्गत यशवंत सागर डैम पर कंट्रोल रूम एवं आस-पास के रोाई-पुताई एवं अन्य सिलविल कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

03 आमंत्रण

जोन क्रमांक-16 वाई क्रमांक-03 बी.एच.ए.ए.ए.ए. की क्षेत्र अंतर्गत कालानी नगर में हनुमान मंदिर के पीछे वाली गली में 110 एम.पी. की ब्यास की एच.डी.पी.ई. पाईप लाइन बिछाने एवं धरनुल नल कनेक्शन करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

04 आमंत्रण

जोन क्रमांक-16 वाई क्रमांक-01 सिरपुर कुएं पर हाईड्रेट बनाने हेतु 7.5 एम.पी. के नवीन मोटर पंप स्थापित मय फिटिंग करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

05 आमंत्रण

जोन क्रमांक-16 वाई क्रमांक-03 नगीन नगर ओरिसि स्कूल के पास वाली गली में 110 एम.पी. की ब्यास की एच.डी.पी.ई. पाईप लाइन बिछाने एवं धरनुल नल कनेक्शन करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

06 आमंत्रण

जोन क्रमांक-16 वाई क्रमांक-03 नगीन बड़ा कुएं पर हाईड्रेट बनाने हेतु 7.5 एम.पी. के नवीन मोटर पंप स्थापित मय फिटिंग करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

07 आमंत्रण

जोन क्रमांक-11 वाई क्रमांक-54 के अंतर्गत शासकीय कौशल विकास केन्द्र मूसाखेडी इन्दौर में 1 1/2 (डेड इंच) का बल्क कनेक्शन प्रदान करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

08 आमंत्रण

यशवंत सागर जलप्रदाय व्यवस्था अंतर्गत देवधर फिल्टर प्लांट पर 35, 50 एच.पी. की ब्लोअर पंप डेस्टा स्टर्टर मय केबल अन्य संबंधित सुधार करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

09 आमंत्रण

यशवंत सागर जलप्रदाय व्यवस्था अंतर्गत देवधर फिल्टर प्लांट पर नवीन एच.सी.बी. ब्लोअर मोटर के स्टार डेस्टा 50 एम.पी. की आईल स्टर्टर मय के बल सामग्री अन्य संबंधित सुधार करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

10 आमंत्रण

यशवंत सागर जलप्रदाय व्यवस्था अंतर्गत यशवंत सागर डैम के टनल के साफ-सफाई हेतु डी-वॉटरिंग मय के सॉक्स के बल, ऑटो स्विच, स्टर्टर आदि क्रय करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

11 आमंत्रण

यशवंत सागर जलप्रदाय व्यवस्था अंतर्गत देवधर फिल्टर प्लांट स्टेशन पर प्रामद्री सेकेण्डरी टैंकों की साफ-सफाई हेतु डी-वॉटरिंग मय के सॉक्स मय के सॉक्स केबल, ऑटो स्विच, स्टर्टर आदि सामग्री क्रय करने का कार्य। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

12 आमंत्रण

जोन क्रमांक-03 वाई क्रमांक-57 अंतर्गत मोई महल्ल में मछली मार्केट वाली गली में पूर्व से खनिल नलकूपों से 63 एम.पी. ब्यास की एच.डी.पी.ई. पाईप लाईन प्रदाय करने, बिछाने, जोड़ने, टेस्टिंग, कमीशनिंग एवं अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्ण करना। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

13 आमंत्रण

जोन क्रमांक-03 वाई क्रमांक-57 अंतर्गत मोई महल्ल में मछली मार्केट वाली गली में पूर्व से खनिल नलकूपों से 63 एम.पी. ब्यास की एच.डी.पी.ई. पाईप लाईन प्रदाय करने, बिछाने, जोड़ने, टेस्टिंग, कमीशनिंग एवं अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्ण करना। (सम्पूर्ण सामग्री श्रेड्युल अनुसार)

अत्याधुनिक रडार खरीद के लिए दो हजार का करोड़ अनुबंध : नई दिल्ली, 25 जुलाई . रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए सभी तरह के हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार की खरीद के लिए शुक्रवार को यहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ करीब 2000 करोड़ रुपये के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए . यह अनुबंध खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के अंतर्गत की जायेगी .

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्यकाल: सुनिंग नं. 802, नटराज रस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.

रतलम शाखा: कार्डेज प्लोर, 19, पीलेस रोड, धितामन गणेश मंदिर के सामने, रतलम - 457001 (मध्य प्रदेश)
आगर शाखा: तल मंजिल, मकान का पूर्वी भाग भूमि सर्वे नं. 341/2, सारंगपुर रोड, छावनी नाका के पास, आगर - 465441 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)